राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1549 / 2023

धर्मवीर पुनिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, डीजीजीआरएस, मेहाडा, गुर्जरवास, खेतडी, झुन्झुनू।
6. प्रधानाचार्य, श्रीमती बनारसी देवी लाठ, राउमावि, मंडरेला, जिला झुन्झुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.06.2023

आदेश की दिनांक : 14.06.2023

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.05.2022 के द्वारा 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित किया गया था एवं अपीलार्थी का पदस्थापन मेहाडा गुर्जरवास जिला झुन्झुनू में किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्य ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन श्रीमती बनारसी देवी लाठ राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडरेला, झुन्झुनू में किया गया। परन्तु अपीलार्थी को अभी भी कार्यमुक्त नहीं किया गया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति को मूल विभाग के द्वारा आगे नहीं बढायी गयी और प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गयी, जिसके उपरान्त भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।
3. अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.05.2022 के द्वारा प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिये की गयी थी, जो एक वर्ष की अवधि वर्तमान में पूर्ण हो चुकी

है। मूल विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के आदेश भी पारित किये जा चुके है और अपीलार्थी की नियुक्ति भी मूल विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा कर दी गयी है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.01.2023 की पालना में कार्यमुक्त नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है तथा न्यायिक दृष्टि से भी उचित नहीं है।

4. अतः प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश में स्थानान्तरित स्थान श्रीमती बनारसी देवी लाठ राबाउमावि, मंडरेला, झुन्झुनू के लिये इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के 07 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करे।
5. अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अंन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)